

RR No. 4549
1-2-13

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक 29-1-13

:- आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं :-

क.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1	6/07	श्री राजेन्द्र कुमार शाह अनुभागाधिकारी लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर	'एच' ब्लॉक एमआरईसी केम्पस गांधीनगर	31.7.2015
2	130/08	श्री कमल नारायण बौरान वरिष्ठ विधि रचनाकार विधि विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	10/III सी बहुमंजिला आवास गांधीनगर	31.8.2025
3	143/08	श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत, कनिष्ठ लेखाकार, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	17/III सी बहुमंजिला आवास गांधीनगर	31.8.2023
4	103/09	श्री ओम प्रकाश गुप्ता नर्स ग्रेड द्वितीय सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर ।	5/III ए बहुमंजिला आवास गांधीनगर	30.9.2025
5	143/09	डा० नीतीश शर्मा सहायक निदेशक (योजना वित्त) आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	III/42 गांधीनगर	31.8.2035
6	1/2010	श्री प्रभुदयाल बैरवा अनुभागाधिकारी शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।	'डब्ल्यू' ब्लॉक एमआरईसी केम्पस गांधीनगर	30.6.2016
7	51/2011	डॉ० छबील कुमार मेडिकल ऑफिसर, पी.एस.एम. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-12 जवाहरनगर	31.3.2043
8	80/2011	श्रीमती ममता मेहरा व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) शहीद ले० अभय पारीक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय गांधीनगर जयपुर	15/68 मालवीय नगर	31.3.2039
9	38/2012	श्रीमती निधि शर्मा सहायक निदेशक कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग तिलक मार्ग जयपुर	ए-99 जवाहर नगर	31.12.2041
10	105/2012	डॉ० सुरेन्द्र कुमार शर्मा चिकित्सक सी.ए.एस., पी.जी. निश्चेतन विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-157 जवाहरनगर	31.3.2039
11	108/2012	डॉ० लालचन्द वर्मा चिकित्सक पी.जी. फोरेन्सिक मेडिसीन सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	ए-100, जवाहरनगर	30.6.2043
12	178/2012	श्री दिनेश कुमार प्रबन्धक (लेखा) एन.आर.एच.एम. स्वास्थ्य भवन, जयपुर	जीए/III/टी- 2/16 विद्याधरनगर	30.11.2045

13	180/2012	डॉ० दीपक गोयल वरिष्ठ प्रदर्शक डेन्टल एनाटोमी ओर्थोडोनोसिया राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जयपुर	जीए/III/टी- 2/27 विद्याधरनगर	31.10.2044
14	1/2013	डा० धर्मेन्द्र कुमार वशिष्ठ वरिष्ठ प्रदर्शक प्रोस्थोडोटीक्स राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जयपुर	जीए/III/टी- 2/31 विद्याधरनगर	31.7.2042
15	2/2013	डा० कमल किशोर बिनावरा वरिष्ठ प्रदर्शक एक्सरे, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जयपुर	जीए/III/टी- 2/34 विद्याधरनगर	30.6.2045
16	3/2013	डा० कमल कुमार सोनी वरिष्ठ प्रदर्शक प्रोस्थोडोटीक्स, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जयपुर	जीए/III/टी- 2/63 विद्याधरनगर	31.10.2045
17	8/2013	श्री मोहन लाल शर्मा आर.पी.एस. उप अधीक्षक पुलिस स्टेट काइम रिकॉर्ड ब्यूरो राजस्थान, जयपुर (नीतिगत निर्णय)	III/122 एवीएस गांधीनगर	31.1.2019

शर्त:-

- आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वरूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- कम संख्या -2 पर अंकित श्री कमल नारायण बौरान से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
- कम संख्या -3 पर अंकित श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
- कम संख्या -4 पर अंकित श्री ओमप्रकाश गुप्ता से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
- कम संख्या -17 पर अंकित श्री मोहनलाल शर्मा से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।


राज्यपाल की आज्ञा से

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
5. उप सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. शासन उप सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
10. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
11. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
12. उप शासन सचिव, योजना वित्त, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. प्रधानाचार्य, शहीद ले0 अभय पारीक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
15. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर।
16. निदेशक, एन.आर.एच.एम., स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
17. अधीक्षक, राजकीय दन्त महाविद्यालय, चिकित्सालय, जयपुर।
18. पुलिस अधीक्षक, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
19. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
20. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि0 गाँधीनगर/ जवाहरनगर/मालवीयनगर/विद्याधरनगर, जयपुर।
21. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
22. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
23. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
24. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
25. संबंधित अधिकारीगण।
26. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
27. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
28. अतिरिक्त निजी सचिव, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
29. रक्षित पत्रावली।


(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव